संख्या- 8/2016 /445/44-1-2016-53/2013

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ - दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्टेशन ऐक्ट,1980 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों/निगमों /उपक्रमों पर नियन्त्रण अधिनियम,1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उपर्युक्त विषय पर निर्गत शासनादेश संख्या-301/44-1-उ0वे0रि0 रिपोर्ट-29/83, दिनांक 08 सितम्बर,1983, संख्या-2105/44-1-53/85 टी0सी0, दिनांक 18 सितम्बर,1986 एवं शासनादेश संख्या-2357/चौवालीस-1-88-12उ0वे0रि0/88,दिनांक 14 फरवरी,1989 के अनुक्रम में वेतन समिति 1997 की संस्तुतियों के आधार पर जहां सम्प्रति पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं की गयी है अर्थात् जहॉ वेतन समिति (1997-1999) की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान ही लागू है, वहॉ वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000 दिनांक 10 मार्च,2000 में निर्धारित दरों के अनुसार विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की स्थिति के दृष्टिगत पुनरीक्षित दरें उन्हीं पदों के लिये लागू होगीं जिन पर वाहन भत्ता पूर्व में अनुमन्य है । निम्नांकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें(रूपये प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की पंचम वेतनमान में पुनरीक्षित दरें(रूपये प्रतिमाह)	दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों के अनुसार वेतन सीमा
1-	2-	3-	4-	5-
1-	मोटर कार(जहॉ औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	रू0 300-00	रू0 800-00	8000 या उससे अधिक
2-	मोटर साइकिल/स्कूटर	रू0 120-00	रू0 350-00	5000 से 7999 तक
3-	मोपेड	रू0 50-00	रू0 150-00	4000 से 4999 तक
4-	साइकिल	रू0 20-00	रू0 50-00	3999 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहॉं पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी की जा चुकी है, वहॉं राजकीय कार्मिकोंके लिये वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश, दिनांक 16 नवम्बर,2012 में निर्धारित दरों के अनुसार विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की स्थिति के दृष्टिगत पुनरीक्षित दरें उन्हीं पदों के लिये लागू होगीं जिन पर वाहन भत्ता पूर्व में अनुमन्य है । निम्नांकित स्तम्भ -3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें(रूपये प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की छठें वेतनमान में पुनरीक्षित दरें (रूपये प्रतिमाह)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 को लागू वेतन संरचना के अनुसार ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	मोटर कार(जहॉं औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	रू0 300-00	रू0 1600-00	ग्रेड वेतन रू05400/- या उससे अधिक ग्रेड वेतन
2	मोटर साइकिल/स्कूटर	रू0 120-00	रू0 700-00	ग्रेड वेतन रू04800/-, रू0 4600/- तथा रू0 4200/-
3	मोपेड	रू0 50-00	रू0 300-00	ग्रेड वेतन रू0 2800/-, रू02400/- तथा रू0 2000/-
4-	साइकिल	रू0 20-00	रू0 100-00	ग्रेड वेतन रू01900/- तथा रू0 1800/-

3- वाहन भत्ता की उपर्युक्त पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था इस शर्त के अधीन लागू की जायेंगी कि सार्वजनिक निगम/उपक्रम से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग परीक्षण कर लेगें कि सम्बन्धित निगम/उपक्रम अतिरिक्त व्ययभार को खुद वहन करने में सक्षम हैं और सक्षम स्तर (विभागीय मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू कर सकते हैं।

4- वाहन भत्ता; केवल ऐसे कार्मिकों को ही देय होगा जिन्हें उपक्रम/निगम के कार्यहित में अपने कार्यालय से 08 किलोमीटर के अन्दर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में यात्रा करनी पड़ती हो ।

5- वाहन भत्ता पाने वाले कार्मिकोंको उद्यम के किसी वाहन का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त वाहन भत्ता की दरों को संशोधित करने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम अपने स्रोतों से स्वयं वहन करेगें एवं इसमें शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी ।

7- यदि किसी मामले में उक्त स्तम्भ -4 में अंकित दरों से ऊँची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो तो भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा ।

8- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 8/2016/445(1)/44-1-2016-53/2013 तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 ।
5- उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन,लखनऊ को वेबसाइट पर डालने हेतु ।
6- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ वाणिज्यिक ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

मुरारी लाल
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।